बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन् श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, बौंसी (बांका) को मूल रूप से पैक्सो एवं किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर धान क्रय कर भंडारित करने तथा समय–समय पर राज्य खाद्य निगम कार्यालय से प्राप्त SIO के विरूद्ध मिलरों को धान हस्तगत कराने का दायित्व दिया गया था, जबकि वर्ष 2011–12 के लिए प्राप्त अंतिम प्रतिवेदनानुसार, श्री झा के द्वारा कुल 70,603.93 क्विंटल धान का क्रय किया गया था, जिसके विरूद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत SIO के अनुसार, मात्र 69,889.03 क्विंटल धान ही विभिन्न मिलरों को हस्तगत कराया जा सका।

इस प्रकार श्री झा के द्वारा 714.90 क्विंटल धान मिलरों तक नही पहुँचाया जा सका, जिसके फलस्वरूप सरकार को लगभग 13,60,547/– (तेरह लाख, साठ हजार, पाँच सौ सैंतालीस) रू0 की आर्थिक क्षति पहुँचायी गई और 714.90 क्विंटल धान की क्षति/गबन के लिए श्री झा को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र ''क'' के तहत गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामलें में राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011–12 सहित वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के अन्तर्गत प्रमादी मिलरों से सी0एम0आर0 जमा नहीं करने के कारण इनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने के साथ प्राथमिकी भी दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। विदित हो कि इस मामलें की सुनवाई एवं अनुश्रवण जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी की जा रही है, जबकि आलोच्य मामले में तत्कालीन विभागीय सचिव, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा श्री झा सहित अन्य श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियो के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करते हुए प्रपत्र ''क'' के तहत आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश दिया गया ।

उक्त क्रम में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका, उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक), भागलपुर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बाँका एवं वरीय प्रभारी–सह–अपर समाहर्त्ता, बाँका के प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी, बाँका के द्वारा वर्ष 2011–12 धान अधिप्राप्ति कार्य में दोषी पाये गये श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियो यथा–श्री झा सहित अन्य दो के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' के तहत आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा श्रमायुक्त, बिहार, पटना से किया गया।

इसी बीच, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बांका के द्वारा श्री मृत्युंजय कुमार झा, तत्कालीन् श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, बौंसी सहित श्री सौरभ कुमार चौधरी, कृषि समन्वयक के विरूद्ध सरकारी पद पर पदस्थापित रहते हुए अपराधिक षडयंत्र के तहत कुल 714.90 क्विंटल धान का गबन किये जाने को घोर वित्तीय अनियमितता एवं आपराधिक कृत्य मानते हुए उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओ के तहत नामजद प्राथमिकी (39/2015) भी दर्ज करायी गई।

श्री झा के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर के माध्यम से अंकित किया गया है कि दिनांक–07.05.13 को गुरूधाम स्थित धान क्रय केन्द्र से धान की बोरी चोरी हो जाने के संबंध में थानाध्यक्ष, बौंसी को सूचित किया गया, परन्तु उनके द्वारा धान की बोरी की मात्रा को स्पष्ट नही किया गया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि थानाध्यक्ष, बौंसी धान की बोरी की चोरी की सूचना दिये जाने की मात्र औपचारिकता का ही निवर्हन किया गया है और सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इसे मात्र सूचना के रूप से देते हुए धान केन्द्र पर चौकीदार प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया गया एवं उक्त चोरी के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नही किया गया, जबकि वर्णित चोरी से सीधे तौर पर सरकार को आर्थिक क्षति पहुँचायी जा रही थी, इस प्रकार, श्री झा के द्वारा धान की चोरी के संबंध में थानाध्यक्ष मात्र को सूचित कर दिये जाने से क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में उनकी जबावदेही की गंभीरता कम नही हो जाती है।

श्री झा के समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के द्वारा सर्वप्रथम यह अंकित किया गया है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई में उभय पक्ष को मौका नहीं दिया गया, जिसके अनुसार, विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बांका अथवा उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाना था, ताकि लगाये गये आरोपों का दस्तावेजी सत्यापन किया जा सके, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा इसकी अनदेखी कर एकतरफा मंतव्य दे दिया गया और आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित कर दिया गया।

उक्त माध्यम से श्री झा के द्वारा संचालन पदाधिकारी के संचालन प्रतिवेदन (जाँच प्रतिवेदन) की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न उठाये गये है, जबकि विभागीय कार्यवाही का संचालन एक अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के समान है, जबकि उभय पक्ष के रूप में सरकारी अथवा निगम का पक्ष रखने के लिए नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। उक्त सुनवाई के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री झा को विभिन्न तिथियों यथा–07.09.15, 21.09.15, 15.10.15, 23.11.15, 12.12.15, 11.01.16 एवं 27.01.16 को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार, उक्त कार्यवाही में CCA Rules का कोई उल्लंघन किये जाने संबंधी श्री झा का दावा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

श्री झा के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के माध्यम से धान की क्षति/गबन के संबंध में मुख्य रूप से यह भीं तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 प्रतिशत धान की मात्रा गोदाम के बाहर परती जमीन पर खुले आसमान के नीचे जिला पदाधिकारी के आदेश पर भंडारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप धान लावरिस अवस्था में कड़ी धूप, वर्षा, आँधी, ओलावृष्टि एवं खुले आसमान में रहने तथा चोरी होने के कारण धान की क्षति हुई।

श्री झा के उपरोक्त कथन से वर्णित परिस्थितिजन्य कारणों से धान के व्यापक क्षति की पुष्टि होती है, परन्तु उक्त क्षति के लिए श्री झा को सीघे तौर पर जिम्मेवार नहीं मानने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है, क्यांकि श्री झा के द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते धान की क्षति/चोरी अथवा गबन के संबंध में संचालित विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव–बयान के तहत प्राथमिकी दर्ज किये जाने का उल्लेख भी तथ्यगत नहीं है, जबकि स्पष्ट है कि श्री झा के द्वारा ऐसी कोई प्राथमिकी दर्ज ही नही की गई, बल्कि उक्त चोरी की सूचना देते हुए धान क्रय केन्द्र पर चौकीदार प्रतिनियुक्त करने का मात्र का अनुरोध किया गया था।

इस प्रकार श्री झा उक्त धान की चोरी को रोकने में भी विफल रहे और दूसरी ओर जिला प्रबंधक मात्र को सूचित कर अपने कार्य दायित्व का निर्वहन कर लिया गया, परन्तु उसके अतिरिक्त श्री झा के द्वारा ऐसा कोई कदम नही उठाया गया, जिससे धान की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्षति/गबन को रोका जा सके, जबकि ये उनकी स्वाभाविक जिम्मेवारी थी।

अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के माध्यम से यह तर्क रखा जाना कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बाँका के द्वारा धान खरीद हेतु समुचित व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में संचालन प्रतिवेदनानुसार गबन कार्य में उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए का तर्क स्वंय के दायित्व को स्थानांतरित किये जाने का प्रयास मात्र प्रतीत होता है, क्योंकि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बांका के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का दायित्व श्रम विभाग पर न होकर उनके प्रशासी विभाग का है।

जहॉ तक सहकारिता विभाग के द्वारा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, अमरपुर के विरूद्ध लगाये गये आरोप से संचालन पदाधिकारी के द्वारा मुक्त कर दिये जाने के संदर्भ का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि आरोपों की गंभीरता एवं सन्निहित परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए उनके अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया गया, जिसके अन्य समान मामलों में भी अक्षरशः लागू होने का तर्क भी असंगत प्रतीत होता है।

श्री झा के द्वारा यह भी पक्ष रखा गया है कि उनके विरूद्ध गठित प्रपत्र "क" के तहत 714.90 क्विंटल धान की क्षति/गबन का आरोप साक्ष्य आधारित नही है, क्योंकि प्रभार प्रतिवेदनानुसार 692.00 क्विंटल धान क्षतिग्रस्त अवस्था में एवं 174.80 क्विंटल धान सुरक्षित अवस्था में गोदाम का प्रभार दिया गया है और नीलाम पत्र वाद सं0–53/2014–15 में उनके विरूद्ध रू0 4,39,355/– राशि ही उनसे संबंधित है, जिसे श्री झा के द्वारा प्रकारांतर से सन्निहित आरोप की स्वीकारोक्ति माना जा सकता है और जहाँ तक सन्निहित आरोप में धान की मात्रा में पविर्तन होने का प्रश्न है तो उक्त स्थिति में बदलाव होने के बावजूद सन्निहित क्षति अथवा गबन संबंधी आरोप की गंभीरता को कमतर आँका नहीं जा सकता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में तथापि प्रश्नगत मामलें में उप श्रमायुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत श्री झा के विरुद्ध गठित सारे आरोप प्रमाणित पाये गये है और प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा के बिन्दु पर श्री झा के समर्पित स्पष्टीकरण के माध्यम से ऐसा कोई ठोस तथ्य अथवा अकाट्य साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर सन्निहित आरोपों को खंडित किया जा सके। इस प्रकार, श्री झा के द्वारा किये जा रहे किसी भी दावों का संपोषण नहीं होता है।

तदालोक में सम्यक् विचारोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों का दोषी पाते हुए श्री झा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के भाग–V के नियम 14 (11) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागी कार्यवाही समाप्त की जाती है:–

1. **श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन् श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, बौंसी, बांका, वरीयता क्रमांक–371, जन्म तिथि–15.08.68, नियुक्ति तिथि–07.04.1998 को सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।**

श्री झा को उनके भविष्य निधि तथा ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि भुगतेय नही होगा।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 5/आर०एल०–40–37/2015 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– महालेखाकार बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 5/आर०एल०–40–37/2015 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप श्रमायुक्त, बेगुसराय/सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर/श्रम अधीक्षक, मुंगेर/बांका एवं श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन् श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, बौंसी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रम अधीक्षक, मुंगेर निदेशित है कि इस आदेश का तामिला अपने स्तर से श्री मृत्युंजय कुमार झा, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरियारपुर, मुंगेर तत्कालीन् श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, बौंसी, बांका को कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 5/आर०एल०–40–37/2015 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 5/आर०एल०–40–37/2015 श्र0सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।